

## न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बड़जलास — डॉ. नरेन्द्र कुमार थोरी, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 141/2018

अपीलान्ट

बनाम

रेस्पोंडेन्ट

नारायणराम पुत्र भेराराम जाति जाट  
निवासी शीलगांव तहसील मुण्डवा।

राजस्थान राज्य जरिये  
तहसीलदार मुण्डवा।

उपस्थिति :-

1. श्री धर्माराम खुडखुडिया अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट की ओर से।

**निर्णय**

दिनांक:17.06.19

{1}-मामलें के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, मुण्डवा द्वारा धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 471/2018 सरकार बनाम नारायण में निर्णय दिनांक 02.04.2018 के तहत मौजा शीलगांव के खसरा नं. 886/258 रकबा 10 बीघा गै.मु. बाराणी - 2 भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 30.04.2018 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 18.05.2018 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में प्रकरण संख्या 471/2018 सरकार बनाम नारायणराम में फर्द अहकाम दिनांक 19.02.18 से 2.4.18 तक की फोटोप्रति, धारा 91 का नोटिस की फोटोप्रति, पटवारी रिपोर्ट की फोटोप्रति, अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन की फोटोप्रति, प्रकरण संख्या 471/2018 सरकार बनाम नारायणराम में निर्णय दिनांक 2.4.18 की फोटोप्रति, न्यायालय सहायक कलक्टर (मु.) नागौर के प्रकरण सं. 353/16 के फर्द अहकाम दिनांक 23.7.16 से 20.2.18 की फोटोप्रति, दावा की फोटोप्रति, नक्शा नया व पुराना की फोटोप्रति, खसरा पत्रक संवत् 2015 की फोटोप्रति, जमाबंदी खेवट खतौनी संवत् 2019 से 25 तक की फोटोप्रति, न्यायालय सहायक कलक्टर (मु.) नागौर में पेश आवेदन पत्र की फोटोप्रति, राजस्व अपील सं. 105/18 में प्रार्थना पत्र अधीन आदेश 41 नियम 27 सीपीसी की फोटोप्रति, न्यायालय सहायक कलक्टर (मु.) नागौर के प्रकरण सं. 19/18 के फर्द अहकाम दिनांक 10.4.18 से 16.8.18 की फोटोप्रति तथा न्याय आपके द्वार केम्प शीलगांव में पेश की गयी पटवारी शीलगांव की रिपोर्ट की फोटोप्रति पेश की गई।

{2}-उभयपक्ष के वकूलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि

{2}(I)-आदेश जैर अपील अनुचित, विधि विरुद्ध तथ्यों परिस्थितियों के विपरीत, बिना साक्ष्य का अवसर दिये अपीलान्ट की अनुपस्थिति में पारित किया है। जो त्रुटिपूर्वक होने से निरस्तनीय है।

2}(II)-खसरा नं. 886/258 रकबा 10 बीघा पर अपीलान्ट के साथ बुधाराम पुत्र रामाराम का पुश्तेनी हक खातेदारी कानूनन है व अपीलान्ट तथा बुधाराम ने उक्त खसरा को अपने हक खातेदारी घोषित करवाने हेतु बाकायदा धारा 80 सीपीसी का नोटिस देकर वाद पेश कर रखा है। उक्त राजस्व वाद के बारे में अधीनस्थ न्यायालय को पूर्ण जानकारी होते हुए भी इस तथ्य की अनदेखी करते हुए अनुचित निर्णय पारित करने में त्रुटि की है। साथ ही बुधाराम पुत्र रामाराम के स्थान पर उसकी पत्नी बाउ देवी को अनुचित रूप से नोटिस देकर पृथक से प्रकरण सं. 473/18 अनुचित रूप से निर्णीत करने में त्रुटि की है। नियमित न्यायालय में दावा चल रहा है। इसलिये नियमित दावा के निर्णय तक इस न्यायालय की कार्यवाही स्थगित रखी जानी चाहिये।

{2}(III)-अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 21.03.18 को पेश किये गये जवाब की अनदेखी की है तथा दिनांक 21.03.18 को ऐहलकार नही होने से आगामी तारीख पेशी नियत नही की व तत्पश्चात बिना अपीलान्ट को सूचना दिये दिनांक 2.4.18 को अनुपस्थिति दर्ज कर बिना साक्ष्य सबूत का अवसर दिये आदेश जैर अपील त्रुटिपूर्वक पारित कर दिया है।

{2}(IV)-अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत का अवसर नही दिया, पुराने रेकर्ड का अवलोकन नही किया।



अपर कलक्टर, नागौर

नाप चोप नहीं किया है व अपने स्तर पर कोई जांच किये बिना गलत रिपोर्ट के आधार पर आदेश जैर अपील करने में विधिक त्रुटि की है।


[2](V)—प्रकरण सं. 471/18 व 473/18 में बुधाराम पुत्र रामाराम को नोटिस दिया जाना न्यायोचित व आवश्यक होते हुए भी नहीं दिया गया है। अपील स्वीकार की जाकर पुनः बुधाराम पुत्र रामाराम को नोटिस देकर अपीलांट व बुधाराम द्वारा प्रस्तुत वाद के अंतिम निर्णय तक कोई कार्यवाही नहीं करने व तत्पश्चात वाद के निर्णय अनुसार प्रक्रिया अपनाने का आदेश दिया जाना न्यायोचित है।

[3]— राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा मौजा शीलगांव में स्थित गै.मु. बारानी-2 भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

[4]— उभयपक्ष के वकूलाय की बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में अपीलांट का ग्राम शीलगांव के खसरा नं. 886/258 रकबा 10 बीघा भूमि पर अतिक्रमण मानते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट को नोटिस जारी किया गया है। अपीलांट का न्यायालय में उपस्थित होना अभिलेख से साबित भी है। आराजी भूमि राजस्व रेकॉर्ड के अनुसार राजकीय भूमि होना बखूबी साबित है। जहां तक नियमित वाद का प्रश्न है, वो संबंधित न्यायालय द्वारा ही विवाद का निस्तारण किया जा सकता है। इस कार्यालय की कार्यवाही को लेकर कोई रोक हो ऐसा कोई आदेश नहीं है।

[5]— उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है। आराजी भूमि को लेकर न्यायालय सहायक कलक्टर, (मुख्यालय) नागौर के प्रकरण सं. 19/18 बुधाराम बनाम सरकार में दिनांक 23.05.18 को पारित आदेश की ताजा स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही आदेश जैर अपील की पालना की जावे।

[6]— निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(डॉ. नरेन्द्र कुमार थोरी)  
अपर कलक्टर, नागौर  
नागौर